



2026:AHC:66824

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

737 वर्ष 2026

नौशाद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद फैसल खान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. इस न्यायालय ने 28.1.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मोहम्मद फैसल खान, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत आवेदन भ०द०वि०, थाना-बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरपुर नगर की धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308 के तहत केस अपराध संख्या-159 वर्ष 2024 में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में एक क्रॉस केस है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 9 नामित और 5 अज्ञात व्यक्तियों ने पहले सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किया है, जिसके परिणामस्वरूप, दो व्यक्तियों को पहले सूचनाकर्ता पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी कोई भी चोट जीवन के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खतरनाक नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यक होने पर पेश होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि उसे अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं।

5. यह कहा जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011)1 एस.सी.सी. 694** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय लेते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववर्ती, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और उस न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ पूरी उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में- अपराध में शामिल नौशाद को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर 25.02.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

7. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. इस मामले को 25.02.2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध करें।

9. अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली तारीख तक मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

2. आज, जब मामले को बुलाया गया है, तो अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान रूप से स्थित सह-आरोपी ताहिर, अनीस और सद्वाम को आपराधिक प्रकीर्ण में अग्रिम जमानत दी गई है। अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या- 1218 वर्ष 2026 (ताहिर और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)। उनका तर्क है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के समान है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर पहले ही बढ़ाया जा चुका है। आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रस्तुतियों को दोहराया है जैसा कि दिनांक 28.1.2026 के आदेश में दर्ज किया गया है।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।



5. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रस्तुत मामला एक मामला है, जो नौ नामजद अभियुक्तों और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसी तरह स्थित सह-आरोपी ताहिर, अनीस और सद्दाम को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई है। सूचनाकर्ता पक्ष की चोटों को जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाया गया है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, मैं आवेदक के पक्ष में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

8. आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- नौशाद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले के अपराध में उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जैसा कि दिनांक 28.01.2026 के आदेश में उल्लिखित है।

मार्च 30, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)